न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी R 3895-I/13

श्री आकिल खान, अभि० द्वारा आज दि 28-10-13 को प्रस्तुत
28-10-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

इब्राहिम खॉ आ0 श्री हसन खॉ
निवासी – ग्राम पवई, तहसील गंजबासौदा
जिला – विदिशा (म0प्र0)

.... प्रार्थी

बनाम

जैनव बानो पत्नि श्री इकबाल खॉ
निवासी – हाल मुकाम चूड़ी मोहल्ला
गंजबासौदा जिला – विदिशा (म0प्र0)

.... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल एस0 बी0 सिंह, प्रकरण क्रमांक 184 अपील/2010–11 दिनांक 11.09.2013 को पारित आदेश से दुखित होकर

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के तथ्य

1. यहकि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि जो ग्राम पवई कुरवाई तहसील बासौदा 2 आ0 नं. 368 रकवा 1.087 हैक्टेयर पर भूमि स्वामी दर्ज है।

2. यहकि, तहसीलदार बासौदा ने पंजी. क्रमांक 13 रकवा 1.087 हैक्टेयर पर प्रार्थी का नामांतरण निरस्त कर प्रतिप्रार्थी का नामांतरण कर दिया जिससे दुखित होकर प्रार्थी द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा जिला विदिशा के समक्ष अपील क्रमांक 10/अपील/2010–11 प्रस्तुत की गई जिससे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया।

3. यहकि, प्रतिप्रार्थी द्वारा जो व्यवस्थापन पत्र प्रार्थी द्वारा संपादित किया जाना दर्शाया गया है वह व्यवस्थापन पत्र प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से धोखे से व फर्जी रूप से संपादित कराया गया। प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से धौंखे से जो व्यवस्थापन पत्र संपादित कराया गया है उस व्यवस्था पत्र के आधार पर प्रतिप्रार्थी को उक्त वर्णित सर्वे नम्बरान 368 रकवा 1.087 हैक्टेयर पर कोई स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त नही होते है। प्रतिप्रार्थी प्रार्थी की रिश्ते में बहन नहीं है।

क्रमशः...............2

R 3895/13 रिविजन

24.4.15 आवेदक एवं अनावेदक के मुख्तार ने समय लिया। पु. पेश करें

पे 17.7.15 [illegible]

17.7.15 आवेदक अधि. उप. नहीं। अना. को मुहलत दी जाती। लिखित तर्क हेतु।

पे.दि. 23.7.15 [illegible]

23.7.15 आवेदक को मुहलत दी जाती। लिखित [illegible] जाती।

पे.दि. 17.11.15 [illegible]

17.11.15 आवेदक विनोद भाई [illegible] आवेदक है [illegible] आगामी [illegible] 21.11.15 को [illegible] की गई थी। [illegible] पेश [illegible] की गई थी। आवेदक प्रकरण में रुचि नहीं ले रहा है। प्रकरण रुचि के अभाव में [illegible] में [illegible] होने [illegible]

र.द. [illegible] जाता है। [illegible]